कार्यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम
(आरटीएस)

मि.न.133/17

दिनांक 7.9.17

सरकार बनाम किशन लाल
अन्तगर्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिहंपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 583 रकबा 49.49 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी में से 0.002है0 पर किशन लाल पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुक्ता मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान जरीये अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सैनी उपस्थित आये । अधिवक्ता ने गैरसालान की तरफ से लिखित जबाब पेश किये जो संलग्न पत्रावली किया गये । विद्वान अधिवक्ता ने अपने जबाब में कथन किया कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। उक्त नोटिस गैर कानूनी रूप से दिये गये हैं।जबकि खसरा नंबर 583 ग्राम करवास गै0 मु0 नदी नहीं है ,बल्कि सिवाय चक है। सिवाय चक भूमि को गै0 मु0 नदी दर्ज करने का अधिकार श्रीमान को नहीं है। खसरा नंबर 583 ग्राम करवास को गलत एवं अवैध रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवायचक से गैरमुमकिन नदी गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी गण का कब्जा बुर्जुगाान के समय से है।विद्वान वकिल ने मननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1955(1)डीएनजे एस0 सी0 पेज 208,आर0 एल0 डब्लू0 –2004 राज0 पेज 372 व आर0 एल0डब्लू0 –2005(1)राज0 पेज 378 की दलील पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थी गण का कब्जा 50 वर्षो से अधिक है जिस पर से एल0 आर0 एक्ट की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती । अतः नोटिस को निरस्त फरमाया जावे।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब व दलीलो के संदर्भ में मनन किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 583/49.49 वाके ग्राम करवास की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहूचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

अतः गैरसायलन किशन लाल पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम करवास के खसरा नंबर 583/49.49 है0 में से 0.002है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी पर पुक्ता मकान बनाकर कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः किशन लाल पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 583/49.49 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 0.002 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बने पुक्ता मकान को ध्वस्त किया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0,04का पचास गुणा 2रू0 अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली , हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

2017 018 के रा० ले
पृष्ठ संख्या 82 पर 22
... किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली